



बिहार सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग, हरियाली मिशन

कार्यान्वयन अनुदेश -2013-2014

योजना का नाम :— वृक्ष संरक्षण योजना।

योजना क्रमांक :— 04

उद्देश्य

- वृक्षारोपणों की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करना ।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अवसर प्रदान करना ।
- बी० पी० एल० परिवारों को वरीयता के आधार पर वृक्ष उपलब्ध करवाना ।
- प्रति इकाई 20 (बीस) पौधा संरक्षण हेतु उपलब्ध करवाना ।
- बी० पी० एल० परिवार को अतिरिक्त आय की व्यवस्था ।

लक्ष्य

बिहार के सभी जिले।



वृक्ष इकाई के आवंटन की अवधि

- वृक्ष इकाई के आवंटन की **अवधि** तीस वर्ष
- अवधि का नवीकरण उसी परिवार के लिए अगले तीस वर्ष के लिए
- यह योजना वर्ष 2006–07 एवं उसके बाद किये गये वृक्षारोपण पर लागू होगा।
- आवंटित इकाई का रख-रखाव संतोषजनक नहीं होने पर, आवंटन रद्द कर नये लाभार्थी परिवार को इकाई आवंटित की जा सकेगी
- वृक्षपाल को इकाई का किया गया आवंटन हस्तान्तरणीय नहीं होगा, परन्तु उसकी मृत्यु होने पर नामित उत्तराधिकारी को इकाई हस्तान्तरित की जा सकेगी।

वृक्ष इकाई के आवंटन की अवधि

- आवंटन की अवधि समाप्त होने के बाद यदि वृक्षपाल द्वारा कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन संतोषजनक ढंग से नहीं किया जाता है तो उस आवंटन का नवीकरण नहीं करके, विहित प्रक्रियानुसार इकाई अन्य व्यक्तियों को आवंटित की जायेगी।

वृक्ष इकाई के लिए वृक्षों की उपलब्धता

- यह योजना 2006–07 एवं उसके बाद किये गये पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार द्वारा सभी वृक्षारोपण पर लागू होगी।
- इस योजना में वैसे वृक्षारोपण शामिल होंगे, जिनकी तीन वर्षों की संपोषण अवधि समाप्त हो चुकी है या जो वृक्षारोपण अभी संपोषण अवधि के अंतर्गत है।

वृक्षपाल के दायित्व

- वृक्षपाल के द्वारा आवंटित इकाई वाले वृक्ष को सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य स्वतः किये जायेंगे।
- परिपक्वता अवधि के बाद विदोहन किये गये वृक्ष के स्थान पर नये वृक्ष लगाने की जिम्मेवारी वृक्षपाल की होगी।
- वृक्षारोपण के लिए पौधें पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा निःशुल्क दिये जायेंगे।

वृक्षपाल के प्रतिबंध

- आवंटित इकाई स्थल पर किसी भी प्रकार का अस्थायी/स्थायी निर्माण प्रतिबंधित होगा।
- वृक्षपाल द्वारा आवंटित इकाई के अधीन भूमि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा भूमि पर किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।
- वृक्षपाल द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग तथा पैतृक विभाग के नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
- वृक्षों को समय से पूर्व काटने पर या अन्य किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने पर वृक्षपाल पर भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

पैतृक विभाग का अधिकार

पैतृक विभाग का संबंधित नहर, नदी तटबंध एवं सड़क पर आवश्यक रख-रखाव, सुदृढीकरण, निर्माण का अधिकार रहेगा। इन कार्यों के क्रम में यदि वृक्षों को यदि कोई नुकसान होता है तो वृक्षपाल का किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति का दावा नहीं होगा। अगर इस क्रम में वृक्षों के पातन (कटाई, छँटाई) की आवश्यकता हो तो पैतृक विभाग द्वारा पातन, वन प्रमंडल पदाधिकारी की पूर्वानुमति से किया जा सकेगा, परन्तु पातन के बाद संपूर्ण वन पदार्थ पर वृक्षपाल का अधिकार होगा।

फलो चार्ट

वन प्रमंडल पदाधिकारी, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा आवेदन की प्राप्ति



लाभार्थी बी० पी० एल० सूची की वरीयता के अनुसार सूची तैयार करना (वृक्ष रोपण स्थल एवं आवेदकों के घर की दूरी के आधार पर)



सूची के अनुसार वृक्ष इकाई का भौतिक सत्यापन



वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के कार्यालय के द्वारा तैयार की गयी सूची को वन प्रमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करवाना



वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान कर पुनः वनों के क्षेत्र पदाधिकारी को उपलब्ध करवाना



वन क्षेत्र पदाधिकारी के द्वारा लाभुकों को बुलाकर वृक्ष के इकाई को आवंटित करना एवं अवगत कराना



वनपाल/वनरक्षी के द्वारा वृक्ष इकाई का सत्यापन लाभुकों के साथ जाकर वृक्ष स्थल पर करवाना।



वन रक्षी के द्वारा रैंडम चेंकिंग करना लाभुक अपना कर्तव्य एवं अधिकार का सही से पालन कर रहे हैं या नहीं

वृक्ष संरक्षण योजना हेतु चयन प्रक्रिया

आवेदन के साथ संलग्न कागजात

- बी० पी० एल० प्रमाण-पत्र का छायाप्रति।
- आवेदन पत्र पर स्पष्ट चिपकाया हुआ फोटोग्राफ।

आवेदन प्राप्ति कार्यालय

वन प्रमंडल पदाधिकारी/क्षेत्रीय वन पदाधिकारी के कार्यालय

चयन समिति

वन प्रमंडल पदाधिकारी (अध्यक्ष)

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (सदस्य)

प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (सदस्य)

पैत्रिक विभाग के कनीय अभियंता से न्यून स्तर के पदाधिकारी (सदस्य)

लाभुकों का चयन

- समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराकर
- परिवार के मुखिया एवं उनकी पत्नी को संयुक्त रूप से वृक्ष इकाई आवंटित किया जायेगा।
- ग्राम वार्डज वृक्षों की इकाईयाँ का निर्धारण करवाना।
- वरीयता सूची के अनुसार इच्छुक बी० पी० एल० परिवार को प्राप्तांक अंक (1 से 13) आरोही क्रम के आधार पर वरीयता सूची का प्रकाशन करवाया जायेगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियां एवं महिला लाभुकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- वृक्षारोपण स्थल से आवेदक के घर की दूरी के आधार पर चयन किया जायेगा। (वृक्ष स्थल से नजदीक वाले परिवार को प्राथमिकता)
- लाभुकों द्वारा वृक्ष इकाई को अस्वीकार करने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के लाभार्थी को प्राथमिकता।

वृक्षपाल की पात्रता

- इच्छुक परिवार जो बी० पी० एल० रेखा के अंतर्गत जीवन-यापन करता हो।
- एक परिवार को एक ही वृक्ष इकाई आवंटित किया जायेगा।
- इच्छुक योग्य आवेदन नहीं रहने पर अधिकतम चार इकाई एक वृक्षपाल को आवंटित किया जायेगा।

वृक्षपाल के अधिकार

- वृक्षपाल को आवंटन अवधि में आवंटित इकाई के अधीन वृक्षों पर अधिकार होगा।
- वृक्ष से प्राप्त होने वाले फल, सूखा जलावन, चारा, फूल इत्यादि उत्पादों (वगैर विदोहन किये) पर वृक्षपालों का अधिकार होगा।
- प्राकृतिक आपदा एवं बीमारी के कारण वृक्षों के सूख जाने पर विभाग से अनुमति प्राप्त कर वृक्ष पर वृक्षपाल का अधिकार होगा।
- वृक्षपाल वृक्षों का उपयोग मधुमक्खी पालन, तसरसिल्क के कीट का पालन, लाह कीट पालन इत्यादि के लिए कर सकते हैं।

चेक लिस्ट

- वन प्रमंडल पदाधिकारी / वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा वृक्ष संरक्षण के लिए चयनित बी० पी० एल० परिवारों / लाभुकों की सूची को सत्यापित करवाया जाएगा।
- कोडिंग किये गये वृक्षों की इकाई को लाभुकों को उपलब्ध करवाया जाएगा।
- बी० पी० एल० श्रेणी की जाँच – ग्राम सभा / पंचायत / प्रखंड में उपलब्ध बी० पी० एल० सूची से।
- **वृक्ष इकाई बनाना** :- वृक्षपालों से समन्वय स्थापित करना एवं आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया से मार्किंग, युनिट निर्माण, आवंटन आदि सारे कार्यों को सम्पन्न करवाना।

अपेक्षित तैयारी

- इकाई बनाने के लिए रैखिक वनरोपण के एक तरफ से कार्य प्रारंभ करेंगे।
- स्थल का किलोमीटर एवं पौधों की प्रजाति अंकित करेंगे।
- पौधों की इकाई किस ग्राम एवं किस टोले के अंतर्गत स्थित है।
- नहर, सड़क के दाये किनारे से इकाईयों का निर्धारण करना।
- रैखिक वन रोपण की पूरी दूरी तय करना एवं अंतिम छोर पर बचे हुए पौधों को अंतिम इकाई में जोड़ दिया जायेगा। यह पूरी प्रक्रिया बायें किनारे भी किया जायेगा।
- वृक्ष इकाई को इस प्रकार चिन्हित किया जाय, जिससे वृक्षपाल को स्थल पहचान में सुविधा हो।

अपेक्षित तैयारी

- (क) इकाई के अंत में नम्बर प्लेट लगाकर उसमें क्रमांक अंकित किया जाय।
- (ख) इकाई के अंतिम कतार के पौधों को पीले रंग के रिंग से पेंट किया जाय तथा किसी एक पेड़ में इकाई संख्या अंकित किया जाय।
- (ग) इकाई के अंतिम कतार के पौधों को पतली प्लास्टिक रस्सी से या रिबन से घेर दिया जाय एवं प्लास्टिक के छोटे बैंग में इकाई की संख्या अंकित की जाय।
- (घ) इकाई संख्या फ्लैक्श में छपवाकर उसे इकाई के अंतिम पेड़ में पतली रस्सी से बांधा जा सकता है।
- (च) अन्य कोई विधि जिसका अनुमोदन वन संरक्षक के स्तर से किया जा सकता है।

पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व

विभाग के सभी पदाधिकारी / अधिकारी / कर्मियों अपने—अपने कार्य क्षेत्र में योजना क्रियान्वयन के लिए पूर्ण रूपेण जिम्मेवार होंगे।

वन संरक्षक

- चयन समिति का बैठक करवाना ।
- वृक्ष इकाईयों की उपलब्धता आवेदन अनुसार सुनिश्चित करवाना ।
- विवादों को सुलझाना / मुख्यालय को सूचित करना ।

वन प्रमंडल पदाधिकारी

- वृक्षों की कोडिंग एवं नम्बरिंग करवाना ।
- वृक्ष इकाई की संख्या की जानकारी वन संरक्षक को उपलब्ध करवाना ।
- आवेदन—फार्म जमा करवाना एवं बी० पी० एल० परिवारों/वृक्षपाल का सूची तैयार करवाकर चयन करना ।
- प्रशिक्षण के लिए तिथि एवं परिसर का इंतजाम करवाना ।

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी

- बी० पी० एल० परिवार की सूची ग्राम पंचायत से प्राप्त करना ।
- आवेदक द्वारा संलग्न कागजात की जाँच करना ।
- गांवों स्तर पर प्रशिक्षण करवाना ।
- वृक्ष इकाई को आवेदकों के बीच आवंटित करना ।
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी को सूचित करना ।

वनपाल / वनरक्षी

- जीवित पौधों / वृक्षों की गणना करवाना ।
- वृक्षपाल को प्रशिक्षण देना ।
- वृक्ष इकाई का आवंटन करना ।
- वृक्षपाल को स्थल दिलाने में सहायता करना ।
- समय—समय पर वृक्ष इकाई की जाँच करना ।
- किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पर क्षेत्र पदाधिकारी को सूचित करना ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में विभिन्न प्रमंडल में वृक्ष संरक्षण योजनांतर्गत किए जाने वाले कार्यों का प्राक्कलन।

क्र.सं.	कार्य	इकाई	आवश्यक मानव दिवस	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय
4	वृक्षरोपण स्थल की पहचान, 20-20 पौधों का गुप बनवाना, सर्वेक्षण, रेखांकन एवं यूनिट का निर्माण, (शिडियूल आईटम-2.8) जिसमें पर्यवेक्षण कार्य सम्मिलित है। (157/-रु0 प्रति मानव दिवस)	प्रति यूनिट (0.06 मानव दिवस)	0.06	9.84	0	9.84
4.1	सरकार के प्रावधानानुसार अर्हता प्राप्त लाभुकों का चयन (164/-रु0 प्रति मानव दिवस)	प्रति लाभुक (0.20 मानव दिवस)	0.2	32.8	0	32.8
4.2	लाभुकों को वृक्षरोपण स्थल की पहचान करकर आवंटित कराना (164/-रु0 प्रति मानव दिवस)	प्रति लाभुक (0.30 मानव दिवस)	0.3	49.2	0	49.2
4.3	योजनानुसार वृक्षारोपण स्थल के खाली स्थानों पर पौधा रोपण हेतु पौधे उपलब्ध कराना (164/-रु0 प्रति मानव दिवस)	प्रति लाभुक/ वर्ष (0.10 मानव दिवस)	0.1	16.4	0	16.4
4.4	आवंटन के उपरांत मासिक अनुश्रवण एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन का समर्पण - 12 प्रतिवेदन। (164/-रु0 प्रति मानव दिवस)	प्रति लाभुक/ वर्ष (1.00 मानव दिवस)	1	164	0	164

वन क्षेत्रों से बाहर वृक्षारोपण की प्रस्तावित रीति

दिनांक 13 एवं 14.04.2012 को पटना जैविक उद्यान में हुई बैठक के क्रम में क्रमशः मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर रीजन के पदाधिकारियों द्वारा हरियाली मिशन के अंतर्गत उपर्युक्त विषयक वृक्षारोपण हेतु पूर्ण विमर्शोपरान्त निम्नलिखित रीति का प्रस्ताव किया जाता है।

प्रस्तावित हरियाली मिशन में पारम्परिक वन क्षेत्रों के बहार के इलाकों में वृक्षारोपण के संदर्भ में वृक्ष संरक्षण योजना के तहत ग्रामीणों को 50-50 वृक्षों/पौधों की इकाईयों को पट्टा के रूप में देने पर विचार किया जा रहा है। इसमें ऐसी वृक्ष प्रजातियों का चयन किया जाना है, जो स्थानीय परिवेश (Biotic & Abiotic) के लिए उपयुक्त हों तथा किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए उपयोगी होने के कारण उन्हें सहज ही ग्राह्य हो। इस दृष्टिकोण से वृक्ष प्रजातियों का वर्गीकरण निम्नवत् किया गया है :

ग्रुप-A	इमारती एवं लघु काष्ठ	शीशम, काला शीशम, सागवान, महोगनी, सिरिस, गम्हार, बीजा साल, सिधा, आसन, करम, चह आदि।
ग्रुप-B	जैव विविधता एवं बहुपयोगी प्रजातियाँ	थपबने प्रजातियाँ (यथा पीपल, बरगद, पाकड़, गुलर), हर्रे, बहेड़ा, आँवला, करंज, पलास, कुसुम, अर्जुन, नीम, बकैन, महुआ आदि।
ग्रुप-C	फूलदार एवं सजावटी वृक्ष	अमलतास, जरहूल, छतवन, कचनार, अशोक, मौलश्री, पुत्रजीव, पाटली, बोटलब्रश, गुलमोहर, जकरंडा, पेलटोफोरम, बेंबं प्रजातियाँ आदि।
ग्रुप-D 1	फलदार	<u>प्रथम श्रेणी</u> – ऐसी प्रजातियाँ जिनके फल-फूल एवं प्रकाष्ठ तीनों की व्यवसायिक मांग हो जैसे-आम, कटहल, जामुन एवं महुआ आदि।
ग्रुप-D 2	फलदार	<u>द्वितीय श्रेणी</u> – ऐसी प्रजातियाँ जिनके प्रकाष्ठ की व्यवसायिक मांग कम या नहीं हो जैसे- इमली, आँवला, बेल, सहजन, शहतूत, शरीफा, अमरुद आदि।
ग्रुप-E	व्यावसायिक	पोपलर, यूकेलिप्टस, कदम, सेमल, खैर आदि।
ग्रुप-F	बाँस	बाँस की विभिन्न प्रजातियाँ।

वन क्षेत्रों के बाहर सरकारी भूमि (सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित एवं अन्य जैसे नहरतट, नदी तटबंध, पथतट आदि) पर विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों (Biotic, Abiotic तथा Anthropogenic आदि) के अनुसार वृक्षारोपण किये जायेंगे। ऐसे वृक्षारोपण यथासंभव 50 वृक्षों के इकाईयों के गुणक पर आधारित संख्या में होंगे ताकि प्रस्तावित पट्टों के निर्धारण में सहूलियत हो।

पारम्परित वन क्षेत्रों के बाहर स्थित उपर्युक्त विवरण के वृक्षारोपण स्थल मुख्यतः उत्तरी बिहार एवं पूर्वांचल के क्षेत्रों (पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर एवं सिवान वन अंचल के अंतर्गत अवस्थित जिलों) में उपलब्ध हैं। यह स्थल प्रायः (विभिन्न स्तरों के) जलजमाव से प्रभावित हैं परन्तु मृदा की उर्वरा शक्ति बहुत अधिक है। साथ ही साथ जनसंख्या का अत्यधिक दबाव (excessive biotic interference) है। उपर्युक्त के आलोक में नहर तटबंध, नदी तटबंध तथा पथतट के लिए निम्नलिखित उवकनसम प्रस्तावित किये जाते हैं :—

नदी तटबंध

Module-1

बिना जलजमाव प्रभावित तथा आंशिक रूप से जल जमाव (15 दिन से कम की अवधि) वाले क्षेत्रों के लिए—पीट एवं छोटे स्तूपों पर। (स्पेसिंग 4M x 4 M)

ग्रुप A	.	10%	.	5	पौधे
ग्रुप B	.	10%	.	5	पौधे
ग्रुप C	.	20%	.	10	पौधे
ग्रुप D	.	20%	.	10	पौधे
ग्रुप F	.	40%	.	20	पौधे
				कुल —	50 पौधे

Module-2

मध्यम (15 से 30 दिन तक) जलजमाव वाले क्षेत्रों के लिये यथासंभव जलजमाव सहिष्णु प्रजातियों के चयन पर आधारित—बड़े एवं मध्यम आकार के स्तूपों पर (स्पेसिंग 4M x 4 M)

ग्रुप A	10%	5	पौधे
(महोगनी, शीशम एवं चह सिरिस)			
ग्रुप B	30%	15	पौधे
(गुलर, अर्जुन, करंज, बट, पीपल, पाकड़)			
ग्रुप C	30%	15	पौधे
(जामुन, कटहल, आम)			
ग्रुप D	20%	10	पौधे
(यूकेलिप्टस, कदम)			
ग्रुप F	10%	5	पौधे

कुल — 50 पौधे

Module-3

पूर्ण / 30 दिन से अधिक जलजमाव वाले क्षेत्रों के लिये बड़े स्तूप पर। (स्पेसिंग 4M x 4 M) इनमें बड़े आकार के स्तूपों पर जलजमाव सहिष्णु वृक्ष प्रजातियों का उपयोग किया जाएगा, जैसे— यूकेलिप्टस, कदम, अर्जुन, जामुन, गुलर आदि का यथासंभव मिश्रण।

नहर तट :- उपर्युक्त डवकनसम 1, 2 एवं 3 के अनुसार स्थल की विशिष्टियों को अनुरूप।

पथ तट :- विभिन्न श्रेणी के पथतट (जैसे राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ, MDR एवं ग्रामीण कार्य विभाग के अधीनस्थ ग्रामीण पक्की सड़कों) के किनारे वृक्षारोपण हेतु उपर्युक्त भूमि की उपलब्धता के आधार पर तथा ट्रैफिक के दबाव आदि कारकों के विचारोपरान्त निम्नलिखित डवकनसमे के आधार पर वृक्षारोपण किये जायेगे।

Module-4

वैसे पथ जिनके किनारे तीन या अधिक कतारों में वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध हो (spacing 4m x 4m), मृदा कार्य-पीट एवं विभिन्न आकार के स्तूप (आवश्यकतानुसार), आबादी वाले क्षेत्रों के नजदीक अवस्थित स्थल पर बाँस गैबियन एवं विशेष सुरक्षा प्रहरी (प्रत्येक 1000 पौधा पर एक) की व्यवस्था के साथ।

पहली पंक्ति	—	ग्रुप C एवं नीम, बकैन	34%	17 पौधे
द्वितीय पंक्ति	—	ग्रुप D+E	32%	16 पौधे
तृतीय एवं अन्य पंक्ति	—	ग्रुप	34%	17 पौधे
				50 पौधे

(ग्रुप A - 60%

ग्रुप B . 40%)

Module-5

वैसे पथ तट जहाँ दो कतार ही संभव हो। (spacing 4m x 4m)

पहली पंक्ति	—	ग्रुप C एवं नीम, बकैन	50%	25 पौधे
द्वितीय पंक्ति	—	ग्रुप A + D	50%	25 पौधे

Module-6

वैसे पथ तट की भूमि जहाँ एक ही कतार संभव हो।

ग्रुप A+D (महुआ छोड़कर) + C + A (सिर्फ युकेलिप्टस)

प्रत्येक 1000 पौधों पर एक सुरक्षा प्रहरी तथा आबादी बहुत क्षेत्र के पास बॉस गैबियन, घेरान के साथ प्रत्येक 500 पौधों पर एक सुरक्षा प्रहरी की व्यवस्था।
उपर्युक्त सभी डवकनसमे में यथा संभव 3 एवं उससे अधिक लंबाई के स्वस्थ (rubust) पौधों का रोपण किया जाएगा जो अधिकतम तीन वर्षों में स्थापित हो जाएं।

अनुश्रवण

पदाधिकारियों का नाम	पदनाम
श्री दीपक कुमार	परियोजना प्रबंधन पदाधिकारी
श्री चाँद रहमानी	प्रोग्राम मैनेजर, वित्तीय
श्री नवल किशोर राजू	प्रोग्राम मैनेजर, ग्रामीण
श्री अरविन्द कुमार	प्रोग्राम मैनेजर, वानिकी
श्री संजीव रंजन	तकनीकी पदाधिकारी, वानिकी
श्री राजीव कुमार	तकनीकी पदाधिकारी, वानिकी
श्री विपिन कुमार	तकनीकी पदाधिकारी, कृषि वानिकी
श्री निखिल रंजन कुमार	सांख्यिकी पदाधिकारी

टाईम लाईन :-

[illegible]

वृक्ष संरक्षण योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की वरीयता के अनुसार नियुक्ति हेतु

आवेदन-पत्र

प्रपत्र- 04/01 (2013-14 ½

बी० पी० एल० क्रमांक
आवेदक का नाम
पिता/पति का नाम
पता
वन प्रमंडल का नाम
प्रखंड का नाम
राजस्व ग्राम का नाम

बी० पी० एल० प्राप्तांक
नामित व्यक्ति का नाम

वन क्षेत्र का नाम
पंचायत का नाम
टोला का नाम

कृपया (✓) का निशान लगाएँ

जीविका का साधन— मजदूरी ☐ अन्य ☐

लिंग :- पुरुष ☐ महिला ☐

कोटि :- अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐

पिछड़ा वर्ग ☐ पिछड़ा वर्ग महिला ☐ अत्यंत पिछड़ा वर्ग ☐

विकलांग ☐ सामान्य ☐

धर्म :- हिन्दू ☐ मुस्लिम ☐ अल्पसंख्यक ☐

सिख ☐ ईसाई ☐ अन्य ☐

स्थान :-
दिनांक :-

नोट :- आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक कागजातों की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें। बी० पी० एल० प्रमाण-पत्र इच्छुक व्यक्ति इस प्रपत्र को आवेदन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। **घोषणा** मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं गरीबी रेखा के नीचे परिवार की श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ। मेरे द्वारा अधिप्राप्ति 20 (बीस) वृक्षों का देखभाल सही तरीके से किया जायेगा। मेरे द्वारा वन विभाग के सभी नियमों/निर्देशों का पालन किया जायेगा। उपर में दी गयी सभी जानकारी सत्य हैं कालांतर में उक्त सूचना गलत सिद्ध होने पर मैं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी और मैं मानता/मानती हूँ कि यदि कोई सूचना मेरे विरुद्ध गलत पाया जाता है तो वैधानिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, तथा मेरे आवेदन एवं आवंटन को रद्द किया जा सकेगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं नाम
या अंगूठे का निशान

प्राप्ति रसीद

व्यक्ति/संस्था का नाम पिता/पति का नाम

वन प्रमंडल का नाम वन क्षेत्र का नाम प्रखंड का नाम

जिला का नाम पिन कोड— । वृक्ष संरक्षण योजनातर्गत वृक्षों

की इकाई वृक्ष संरक्षण के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त किया गया है, जिसकी आवेदन-पत्र क्रमांक संख्या है ।

स्थान :-

दिनांक :-

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर पूरा नाम

या

बायें हाथ के अंगूठे का निशान

प्रपत्र- 04/02 (2013-14)

योजना का नाम :- वृक्ष संरक्षण योजना
वन प्रमंडल पदाधिकारी, कार्यालय

प्रमंडल का नाम :-

जिला का नाम :-

क्र	प्रखंड का नाम	वन क्षेत्र	पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम (टोला)	बी० पी० एल० परिवार के मुखिया का नाम एवं पता	आवंटित वृक्षों की इकाई की संख्या	जाति	धर्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								

प्रपत्र-04/03 (2013-14)

योजना :- वृक्ष संरक्षण योजनांतर्गत सरकारी (पर्यावरण एवं वन विभाग के) वृक्ष इकाई के आवंटन हेतु
स्वीकृति आदेश एवं अनुबंध-पत्र

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन क्षेत्र

सेवा में,

चयनित व्यक्ति/स्वयंसेवी संस्था का नाम :-
पता :-

विषय :-

वृक्ष संरक्षण योजनांतर्गत सरकारी वृक्ष इकाई आवंटित हेतु स्वीकृति आदेश एवं अनुबंध-पत्र।

दिनांक :-

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपको/आपकी स्वयंसेवी संस्था को सूचित किया जाता है कि आपका/आपकी स्वयंसेवी संस्था का चयन हरियाली मिशन अंतर्गत वृक्ष संरक्षण के लिए चयनित किया गया है। आपके 20 (बीस) वृक्षों कीइकाई वर्षों के लिए आवंटित किया जा रहा है।

जिसका पता इस प्रकार है :- गाँव टोला पंचायत यूनिट संख्या सड़क/नहर का नाम/दायें किनारा/बायें किनारा है।

अतः आप दिनांक तक वन प्रमंडल के कार्यालय में सभी वांछित प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होकर अनुबंध करें।

वृक्ष संरक्षण हेतु आवेदन-पत्र के माध्यम से सहमति व्यक्त की गयी अनुबंध की विवरणी इस अभिलेख की सूची के रूप में संलग्न है।

अतः यह अभिलेख साक्षी है और इस पर दोनों पक्ष (परिवार/स्वयंसेवी संस्था मिशन के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार) परस्पर अनुबंध करते हैं एवं सहमति व्यक्त करते हैं कि :-

1. प्रथम पक्ष (लाभुक/आवंटित व्यक्ति/स्वयंसेवी संस्था), द्वितीय पक्ष (हरियाली मिशन के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार) से अनुबंध के आधार पर वृक्ष संरक्षण करने हेतु सहमत है।
2. यह अनुबंध दिनांक- से दिनांक- तक वर्षों तक लागू रहेगा।

लाभार्थी का हस्ताक्षर
या अंगूठे का निशान

मुहर के साथ हस्ताक्षर
वन प्रमंडल पदाधिकारी

आदेश
योजना :- वृक्ष संरक्षण योजना
प्रपत्र-04/04 (2013-14)

प्रेषक,
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
वन प्रमंडल
.....
.....

विषय :- वृक्ष संरक्षण योजना के शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर उम्मीदवारी रद्द करने के संबंध में।
दिनांक :-

महाशय,
उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपको पत्रांक—..... दिनांक —
..... के द्वारा वृक्ष संरक्षण योजना के लिए चयनित किया गया है। वृक्षों का संरक्षण
योजनानुसार नहीं करने के कारण आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाती है एवं आवंटित वृक्ष इकाई को वापस
(पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा) लिया जाता है।

स्वीकृत्यादेश
वन प्रमंडल पदाधिकारी
..... वन प्रमंडल

योजना :- वृक्ष संरक्षण योजना

प्रपत्र-04/05 (2013-14)

वृक्ष संरक्षण योजना के लिए सूची तैयार करने की कार्रवाई का प्रपत्र :-

प्रमंडल :-

जिला :-

वन क्षेत्र का नाम :-

प्रखंड का नाम :-

नहर/सड़क का नाम :-

क्र0	गाँव का नाम	टोला का नाम	सड़क/नहर का नाम दायें किनारा/बायें किनारा	कि.मी. /आर. डी. से कि.मी. से आर. डी. तक	20 पौधों की इकाई का क्रमांक	20 पौधों की इकाई की प्रजातिवार संख्या	अभ्युक्ति



धन्यवाद